5 MAY

बाबूलाल पिता स्वसींग

निवासी ,ग्राम बिजोरी पाठक पोस्ट भीट्या,

तहसील पटेरा जिला दमोह (म0प्र0)

—— अपीलार्थी

|| विरुद्ध ||

(1) अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र लखनलाल पाण्डेय

निवासी सिविल लाईन बार्ड नं 2, दमोह (म0प्र0)

(2) विक्रय अधिकारी ग्रामीण विकास बैंक पटेरा जिला दमोह म०प्र०

—— प्रति अपीलार्थी

अपील क्र॰

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

XXXIX(a)BR(H)-11

२१

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग. 1718–तीन/14

जिला – दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जैन उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गये तर्कों पर विचार किया । अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त कियाग या है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने समय अवधि के आवेदन को निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील प्रचलन योग्य नहीं है और इस संबंध में उन्होंने ए.आई.आर. 1994 म.प्र. पेज 198 रामभरोसे सिंह बनाम हेमलता आठले के न्यायदृष्टांत का संदर्भ दिया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के समक्ष तृतीय अपील के रूप में यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भ–राजस्व संहिता में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है इस कारण भी यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	